



सन्दर्भ में :

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

मामले का विवरण:

दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए न्यू इनिशियल क्लेम (एनआईसी) दायर किया है जो \_\_\_\_\_ से प्रभावी है। इसके बाद, डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्यूरिटी (“डिवीज़न”) ने निर्धारित किया कि दावेदार की देय साप्ताहिक लाभ राशि \$ \_\_\_\_\_ थी और दावेदार द्वारा स्थापित लाभ वर्ष के दौरान, दावेदार के लिए देय बेरोजगारी बीमा लाभों की अधिकतम राशि \$ \_\_\_\_\_ थी।

पिछले नियोक्ता से अलगाव के मुद्दे पर दावे को निर्णायक के पास भेजा गया। डॉकेट संख्या \_\_\_\_\_ के तहत \_\_\_\_\_ तारीख को न्याय निर्णायक ने निर्णयादेश द्वारा निर्धारण जारी किया, यह पता लगाने के लिए कि दावेदार N.C. Gen. Stat. §96-14( ) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए (अयोग्य है) (अयोग्य नहीं है)। (दावेदार) (नियोक्ता) ने निर्धारण से एक अपील दायर की और मामले की अपील रेफरी (नाम) द्वारा अपील डॉकेट संख्या \_\_\_\_\_ के तहत सुनवाई हुई। अपील रेफरी के समक्ष निम्न लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए: \_\_\_\_\_। अपील रेफरी ने N.C. Gen. Stat. §96-14( ) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदार अयोग्य (नहीं) है यह पता लगाने के लिए \_\_\_\_\_ तारीख को निर्णय जारी किया। (दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील की है।

तथ्यों की खोज:

1. दावेदार ने \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि के लिए बेरोजगारी बीमा लाभों के दावों को नियमित रूप से दायर किया है। दावेदार ने डिवीज़न के साथ काम के लिए पंजीकरण किया है, डिवीज़न द्वारा अनुरोध के अनुसार एक रोजगार कार्यालय को रिपोर्ट करना जारी रखा है, N.C. Gen. Stat. §96-15(a) के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए दावा किया है।



2. दावेदार ने नियोक्ता के लिए अंतिम बार \_\_\_\_\_ तारीख से काम करने शुरू किया। दावेदार ने \_\_\_\_\_ तारीख से काम करने शुरू किया।

### कानून का ज्ञापन:

रोजगार सुरक्षा कानून कहता है:

लगातार 30 या उससे कम कैलेंडर दिनों के लिए किसी कर्मचारी के अनुशासनिक निलंबन को काम छोड़ने के लिए एक अच्छा कारण नहीं माना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो निलंबन पर होता है वह काम के लिए उपलब्ध नहीं होता और अनुशासनात्मक निलंबन के किसी भी समय के दौरान किसी भी सप्ताह के लिए वह लाभ के लिए पात्र नहीं होता। यदि अनुशासनिक निलंबन 30 से अधिक दिनों के लिए बढ़ जाता है, तो उन कृत्यों या चूक जिसके कारण निलंबन हुआ है, व्यक्ति को काम से हटाया गया माना जाता है, और मुद्दा यह है कि क्या काम से हटाना अपात्रता के कारण से हुआ है। 30 दिनों तक निलंबन की अवधि के दौरान, व्यक्ति को नियोक्ता के पेरॉल से जुड़ा माना जाता है, और काम से अलगाव का मुद्दा दुविधा के कारण अलग रख दिया जाता है जब तक कि एक सप्ताह के लिए दावा दायर नहीं किया जाता जिसपर यह खंड लागू नहीं होता।

N.C. Gen.Stat. §96-14.10.

### कानून के निष्कर्ष:

वर्तमान मामले में, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने योग्य और विस्वसनीय सबूतों और तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला है कि दावेदार को रोजगार से (हटा दिया) (नहीं हटाया) गया था। हस्ताक्षरकर्ता ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि

पूर्ववर्ती के आधार पर, अपील रेफरी के निर्णय में (पुष्टि/बदलाव/संशोधन) होना चाहिए। इसके अलावा, दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए (अयोग्य) (अयोग्य नहीं) (पात्र) (अपात्र) समझा जाना चाहिए।

### निर्णय:

अपील रेफरी के निर्णय की (पुष्टि) (बदलाव) (संशोधन) हुआ है।

\_\_\_\_\_ से शुरू होनेवाले बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए दावेदार (अयोग्य) (अयोग्य नहीं) (पात्र) (अपात्र) है।



बोर्ड ऑफ़ रिच्यु के सदस्य Susan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस निणर्य से सहमत हैं।

यह है

बोर्ड ऑफ़ रिच्यु

चेयरमैन

**नोट:** यह उच्च प्राधिकरण का निणर्य मेल भेजने के तीस (30) दिनों में अंतिम हो जाएगा, जब तक की नीचे दिए गए अनुसार, एक न्यायिक समीक्षा की याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर ना की गई हो। मेल भेजने की तारीख इस निणर्य के अंतिम पृष्ठ पर मिलेगी। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह परदान नहीं करता, कृपया उच्च प्राधिकरण निणर्य को अपील करने के लिए अतिरिक्त मागदशरन के लिए संलग्न पुसितका देखें। यह पुसितका पूरे राजय के सावरजनिक रोजगार कार्यालयों में और रोजगार सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा विभाग की [www.des.nc.gov](http://www.des.nc.gov) वेबसाइट पर फरीकवेंटली आस्कड कवेशचनस सेकशन को भी देख सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामशर कर सकते हैं।

### न्यायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार

इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की अपील उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकर्ता का प्रमुख व्यवसाय स्थान है। यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में प्रमुख व्यवसाय नहीं है, तो अपील को Wake County, North Carolina के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर किया जाना चाहिए या North Carolina की उस काउंटी के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए।

न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या  
चार में से पृष्ठ चार



पर काम किया जाना चाहिए और डिवीज़न की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer  
Chief Counsel  
North Carolina Department of Commerce  
Division of Employment Security  
**Mailing Address:** Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903  
**Physical Address:** 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

**नोट:** यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते।

### सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि (नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंपनी के व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा निरीक्षित व्यक्ति हो। वकील के निरीक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों। न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए।

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किये जाने वाले सभी दस्तावेज और सूचनाएँ केवल प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे। पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील करने पर वापस मिल जाएगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

**दावेदारों के लिए विशेष सूचना:** यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपात्र या अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है। यदि यह अधिक भुगतान इस उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण विभाग



से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिक्त भुगतान का निर्धारण भेज दिया जाएगा। यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अन्य लागू जुर्माने को निर्दिष्ट करेगा। कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से प्रतिवाद करने का एकमात्र तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर न्यायालय में इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना। आपकी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपात्रता या योग्यता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निर्धारण के लिए, जो आपको अतिरिक्त भुगतान के लिए मिला है।

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: